No. M-11/13/2026-Distribution-PNG
Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas

Kartavya Bhawan – 03, Janpath,

New Delhi, Dated: 30th September, 2026

Subject: Inviting comments/suggestions on the draft amendments to the Petroleum Act, 1934– reg.

The Petroleum Act, 1934 was enacted to consolidate and amend the law relating to the import, transport, storage, production, refining and blending of petroleum.

2. The Government has been examining the issue of strengthening the existing legal framework relating to offences committed in violation of the Petroleum Act, 1934.

3. In this regard, it is proposed to amend the Petroleum Act, 1934 through amendment of Chapter 3 relating to "Penalties and Procedure", by substituting Section 23 and Section 25, inserting new provisions Sections 23A, 23B, 23C, 23D and 23E and amending Section 24. The proposed amendments, *inter alia,* seek to achieve the objectives of de-criminalisation of regulatory issues such as breach of terms and conditions of licenses and provides for a mechanism for imposition of civil penalty through an administrative mechanism. Further, the proposed amendments provide adequate deterrence against specific offences relating to various aspects of petroleum operations.

4. The proposed amendments for comments/suggestions from the general public and industry stakeholders are enclosed herewith as **Annexure-1**. An explanatory note providing a brief overview of the amendments is enclosed herewith as **Annexure-2**. Annexure-1 and Annexure-2 may be accessed at https://mopng.gov.in .

5. The comments/ suggestions on the proposed amendments may be furnished within thirty days of publication of this notice to sodist-png@gov.in, richa.86@nic.in for due consideration by the government.

Encl: As above.

ANNEXURE-1

THE PETROLEUM (AMENDMENT) BILL, 2026

A BILL

further to amend the Petroleum Act, 1934.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.—**

(1) This Act may be called the Petroleum (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2.**Definitions.—** In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, the words and expressions used herein and not defined but defined in the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) shall have the meaning assigned to them in that Act.

3. **Amendment of section 23.** — In the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), for section 23, the following shall be substituted, namely—

"23. Offences. —

(1) Whoever undertakes a licensed activity without obtaining the required license, shall be punished with imprisonment for a term that may extend to three years or with fine which may extend to twenty five crore rupees, or with both, and in case of continuing contravention, with additional fine which may extend to ten lakh rupees for every day during which the contravention continues.

Explanation:— For the purpose of this sub-section, the expression "licensed activity" means any activity relating to production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum or petroleum product that requires a license to be obtained under the provisions of section 3, section 4 or section 5 or any of the rules made thereunder.

(2) Whoever fraudulently, dishonestly, or through misrepresentation or impersonation, obtains a license under the provisions of section 3, section 4 or section 5 or any of the rules made thereunder, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

(3) Whoever, with intent to cause or knowing that he is likely to cause damage or destruction to any property or facilities used in relation to production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum, causes damage or destruction of such property by fire, explosive substance or otherwise, or pilfers petroleum from such property, or endangers safety of any person, shall be punished with:

(a) imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to fifteen crore rupees, or with both, for the first offence; and

(b) imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine which may extend to twenty five crore rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

Explanation:— If the holder of a license issued under section 4, or a person for the time being placed by the holder of such license in control of or in charge of any place where petroleum is being imported, stored or is under transport, is found to have aided, abetted or conspired in the commission of any act or omission punishable under this sub-section, he shall, together with the person actually committing such act or omission, be punished with the punishment provided for the offence under this sub-section.

(4) A person who knowingly does or omits to do any act in breach of section 6, and thereby endangers the safety of any person, shall be punished with fine which may extend to:

(a) ten lakh rupees for the first offence; and

(b) twenty lakh rupees for the second or subsequent offence.

(5) Whoever causes damage to critical petroleum infrastructure shall be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years and shall be liable to fine which may extend to twenty five crore rupees or the expenses for any loss, destruction or damage suffered by such critical petroleum infrastructure, whichever is less.

Explanation:— For the purpose of this sub-section the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare any infrastructure or area used or intended to be used in relation to production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum, to be a critical petroleum infrastructure.

(6) Whoever abets any offence, or attempts to commit, or conspires to commit an offence under this Act, shall, if the act abetted, attempted or conspired is committed in consequence of such abetment, attempt, or conspiracy, be punished with the punishment provided for the offence.

4. **Insertion of new sections after section 23.** — In the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), after section 23, the following shall be inserted, namely —

"23A. Obstruction of authorised officer.—Whoever:

(a) is for the time being in control or in charge of any place where petroleum is being imported, stored, produced, refined or blended or is under transport, refuses or neglects to show to any officer authorised under section 13 any receptacle, plant or appliance used in such place in connection with petroleum, or in any way obstructs or fails to render reasonable assistance to such officer during an inspection, or

(b) is for the time being in control or in charge of any place where petroleum is being imported, transported, stored, produced, refined or blended, refuses or neglects to show to any officer authorised under section 14 any petroleum in such place, or to give him such assistance as he may require for the inspection of such petroleum, or refuses to allow him to take samples of the petroleum,

shall be punished with: (i) simple imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or with both, for the first offence; and (ii) simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

23B. Breach of section 27.— Whoever, being required, under section 27, to give information of an accident, fails to give such information as so required by that section shall be punished with:

(a) simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, for the first offence; and

(b) simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

23C. Breach of terms and conditions of license and provision of false information etc. .—

(1) The Central Government shall authorise any person or authority by notification in the Official Gazette, to perform the functions of the adjudicating officer to determine whether there has been any breach of terms and conditions of a license granted under this Act, and for holding an inquiry in such manner as may be prescribed, and different persons or authorities may be authorised to perform all or any of the functions of the adjudicating officer under this Act in the same area or different areas specified in such notification.

Provided that if breach of any terms and conditions of a license endangers public safety, or causes grievous hurt or death, then proceedings under this section shall be in addition to any proceedings initiated in relation to such action under any other law for the time being in force.

(2) If, any person makes a statement in any information, returns, report, books of account or other documents required by, or for the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, which,—

(a) is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) omits any material fact, knowing it to be material,

such person shall, after inquiry pursuant to sub-section (3), be liable to civil penalties under sub-section (5).

(3) The adjudicating officer shall conduct such inquiry following the principles of natural justice and record reasons for the actions taken during the course of such inquiry.

(4) For the purposes of discharging its functions under this section, the adjudicating officer shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of matters relating to—

(a) summoning and enforcing attendance of any person and examining such person on oath;

(b) receiving evidence on affidavit and requiring discovery and production of documents;

(c) inspecting returns, reports, books of account or other documents; and

(d) such other matters as may be prescribed.

(5) In case of breach of a license granted under this Act, the adjudicating officer shall, pursuant to an inquiry under the provisions of this section—

(a) pass an order in writing in respect of one or both of the following, namely:—

(i) direct such holder of a license to do or abstain from doing any act or thing to prevent such breach or for such compliance;

(ii) impose civil penalty up to two crore fifty lakh rupees for the first breach and up to five crore rupees for second or subsequent breach of terms and conditions of license; and

(b) make recommendations for the consideration of the licensing authority for further action regarding suspension, revocation, or curtailment of the duration of such license.

23D. Penalties not to affect other liabilities. —

(1) The penalties imposed pursuant to the provisions of section 23C shall be in addition to, and not in derogation of, any liability in respect of such breach of a license granted under this Act or rules made thereunder.

(2) The provisions of this Act are in addition to and without prejudice to any other liability which a person may have incurred under any other law for the time being in force.

23E. Recovery of amounts. —Without prejudice to other modes of recovery, any civil penalty due under this Act shall, if not paid, be recovered as an arrear of land revenue."

5. **Amendment of Section 24.** — In sub-section (1) of section 24 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934):

a. the words “clause (a) or clause (b) or clause (c) of” shall be omitted;
b. after the words “sub-section (1)” the words “or sub-section (2)” shall be inserted;
c. after the words “shall together with” the words “any facilities built or works, equipment, material, built or used to undertake the offence, or” shall be inserted.

6. **Amendment of section 25.** — In the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), for section 25, the following shall be substituted, namely—

“25. Jurisdiction.—(1) No court inferior to that of a Chief Metropolitan Magistrate or of a Chief Judicial Magistrate shall try any offence punishable under this Act, unless such a court has been specially empowered by the Central Government in this behalf.

(2) The provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) shall be applicable to filing of complaint, investigation, trial of offences committed and any matters connected therewith or incidental thereto, under this Act.

Explanation:—It is clarified that the adjudicating officer under section 23C shall have the jurisdiction in relation to breach of terms or conditions of license, for which civil penalties are to be imposed.”

ANNEXURE-2

Explanatory Note to the Draft Petroleum (Amendment) Bill, 2026

A. Introduction

1. The Petroleum Act, 1934 established the framework for offences that has remained largely the same and was last amended in 1970 by the Petroleum (Amendment) Act, 1970, which: (i) increased the fine imposed under S. 23 Petroleum Act, 1934 from Rs. 500/- to simple imprisonment up to one month or with fine of Rs. 1,000/-; and (ii) for repeat offences, replaced the penalty of up to Rs. 2,000 with simple imprisonment up to three months or with fine up to Rs. 5,000 or both.

2. The penalty, although significant in terms of the 1970s, is now insignificant, considering that in 1970, the price of petrol was Rs. 0.90 per litre and in 2026 it fluctuates between Rs. 95 and Rs. 105, which is an increase of over 10,000%. Even the critical infrastructure that is integral to national security, such as oil refineries, has increased manifold. In 1970, there were only 6 operational refineries providing an annual refining capacity of 18.4 MMTPA, while in 2026, there are 23 operational refineries with refining capacity of more than 258 MMTPA.

3. It is noteworthy that related laws prescribe for higher penalties, as follows:

(a) Oilfield (Regulation and Development) Act, 1948 was amended in 2025 to provide a penalty of Rs. 25,00,000/-, for contravention of critical provisions and if the contravention continues after being held liable to pay the penalty, a further penalty of Rs. 10,00,000/- per day is provided (S. 9 Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948).

(b) Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (PNGRB Act) which has overlapping scope with the Petroleum Act, 1934 (relating to natural gas pipelines and City Gas Distribution network) has provided for specific offences relating to natural gas pipelines, CGD networks and LNG Terminals, that are punishable with imprisonment that can extend up to three years or with fine which may extend up to Rs. 25 crores or both and additional fine that may extend to Rs. 10 lakhs for every day during which contravention continues namely: (i) punishment for unauthorised activities (S. 46 PNGRB Act), (ii) punishment for operating a LNG Terminal without registration (S. 47 PNGRB Act), (iii) punishment for laying, building, operating or expanding a common carrier or contract carrier without authorisation (S. 48 PNGRB Act), (iv) punishment for wilful damage to common carrier or contract carrier pipeline or CGD network (S. 49 PNGRB Act).

4. The objective of the amendments proposed is to rationalise the otherwise generic offence presently under S. 23, Petroleum Act, 1934, which fails to achieve any specific

deterrence against the specific offences but has created a framework whereby breaches of licenses become criminal offences.

5. It is therefore proposed that in order to achieve the objectives of de-criminalisation of minor offences, the present S. 23, Petroleum Act, 1934, be replaced by a graded framework that:

(a) de-criminalises regulatory issues such as breach of terms and conditions of licenses and provides for a mechanism for imposition of civil penalty through an administrative mechanism, and

(b) creates specific offences that relate to aspects of Petroleum Act, 1934, and which would not bring regulatory breaches such as violation of license conditions as criminal offence and at the same time provides adequate deterrence against specific offences relating to different aspects of petroleum operations.

6. The specific offences being created are critical for the integrity of the operations of the petroleum sector and are based on other relevant statutes in force in India and international precedents of offences relating to petroleum sector from jurisdictions of United States of America, Japan, Australia, Germany, and Singapore.

B. <u>Disclaimer</u>

7. This explanatory note is for informative purpose only. It is not a part of the Bill. The explanatory note shall not be considered for legal interpretation of the provisions of the Bill.

C. <u>Summary of Bill</u>

8. <u>Amendment to Chapter 3 (Penalties and Procedure):</u>

8.1. **Amendment of Section 23:** Presently, Section 23 of the Petroleum Act, 1934, has a general penalty for offences under the said Act. It is proposed to be replaced with provisions providing for penalties for specific offences.

<u>*Proposed S. 23(1):*</u>

a. Since the breach of terms and condition of licenses is proposed to be decriminalised and the requirement of licenses is limited to specific activities, it is therefore necessary to create sufficient deterrent against undertaking activities that mandate a license, without obtaining the required license.
b. Consequently, the proposed S. 23(1) creates the specific offence of undertaking an activity that requires a license under the Petroleum Act, 1934 and rules made thereunder, without obtaining the required license. It proposes imprisonment for a

term that may extend to three years or with fine which may extend to twenty five crore rupees, or both.

c. The punishment is based on similar offence for undertaking laying, building, operation or expansion of common carrier natural gas pipeline or CGD network without prior authorisation that is provided for under the PNGRB Act.

Proposed S. 23(2):

a. In order to protect the sanctity of the process of obtaining a license under the Petroleum Act, 1934, particularly in light of the economic value of the commodities regulated, it is necessary to provide deterrence against the obtaining of licenses through fraudulent actions.

b. Consequently, the proposed S. 23(2) provides for a specific offence of obtaining a license under the Petroleum Act, 1934 fraudulently, dishonestly, or through misrepresentation, personation.
c. This is required in public interest to prevent persons who are otherwise not conforming with the requirements of receiving a license under the Petroleum Act, 1934 from obtaining such a license.
d. Obtaining licenses in fraudulent manner negates and undermines the licensing regime established under the Petroleum Act, 1934 and is also against public interest. The punishment is based on the offence of Cheating under S. 318(3) Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS).

Proposed S. 23(3):

a. Since petroleum and petroleum products which are regulated by the Petroleum Act, 1934, are inflammable and hazardous for public safety and at the same time have high economic value, it is required to deter causing of intentional damage to facilities used in relation with the production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum and to prevent pilferage of petroleum from such facilities.
b. Consequently, S. 23(3) proposes a specific offence of: (i) intentionally or knowingly causing damage, destruction to property or facilities used in relation with production, import, storage, refining, transportation, or blending of any petroleum; or (ii) intentionally or knowingly causing, by fire, explosive substance or otherwise, damage to such property or destruction of such property, or (iii) intentionally or knowingly causing pilferage of petroleum from such property, or (iv) intentionally or knowingly endangers safety of any person.
c. Keeping in mind the principle of gradation of offences, the same has been made punishable with:
    i. imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to fifteen crore rupees, or with both, for the first offence; and
    ii. imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine which may extend to twenty five crore rupees, or with both, for the second or subsequent offence.
d. It is also explained if the holder of a license, or a person for the time being placed by the holder of such license in control of or in charge of any place where petroleum is

being imported, stored or is under transport, is found to have aided, abetted or conspired in the commission of any act or omission punishable under this sub-section, the same punishment shall apply to such person.

Proposed S. 23(4):

a. Section 6 of the Petroleum Act, 1934 requires receptacles of petroleum Class A to show a warning label, such as "Petrol" or "Motor Spirit", or an equivalent warning of the dangerous nature of the petroleum.
b. Not having such warning labels on receptacles can lead to accidents, which endanger the safety of general public.
c. In light of this, an offence is proposed with respect to knowingly doing or omitting to do any act in breach of Section 6, thereby endangering the safety of any person. The breach is punishable with ten lakh rupees for the first offence and twenty lakh rupees for the second or subsequent offence.

Proposed S. 23(5):

a. The proposed S. 23(5) creates a framework whereby the Central Government can notify certain types of infrastructure or facilities in petroleum sector as being "critical petroleum infrastructure" and creates a specific offence of causing damage to such facilities or infrastructure that are notified as critical petroleum infrastructure.
b. This is based on the framework of notifying and creating a specific framework for critical infrastructure. A separate law exists for such infrastructure in Singapore – that had enacted the Infrastructure Protection Act, 2017. In India, the Telecommunications Act, 2023 provides a similar framework under S. 22(3) r/w S. 42 Telecommunications Act, 2023 that provides a framework for "critical telecommunications infrastructure".
c. The objective of creating an enabling framework for critical petroleum infrastructure is to establish, by law, a clear classification that damaging such infrastructure facilities would by itself be an offence and therefore clearly provide a deterrence against any criminal activity against such infrastructure facilities.
d. Where any infrastructure is notified by the Central Government as critical petroleum infrastructure, and physical damage is caused to the same, the person causing damage shall be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years and shall be liable to fine which may extend to twenty five crore rupees or the expenses for any loss, destruction or damage suffered by such critical petroleum infrastructure, whichever is less.

Proposed S. 23(6):

a. The value of petroleum and petroleum products is very high but also requires more than one person for undertaking such offences. Consequently, a specific offence of abetting or conspiring to commit offences relating to activities governed by the Petroleum Act, 1934 is being proposed. It has also been noted that there is an

increase in instances of petroleum related offences which are undertaken by criminal syndicates or organised groups of persons.

b. The abetment, conspiracy to commit and attempting to commit the specific offences proposed, is therefore also being made an offence. Presently, such a provision is not there in the Petroleum Act, 1934.

8.2. Insertion of new provision S. 23A.

(a) The present Section 23(1)(d) and (e) of the Petroleum Act, 1934, with respect to obstruction in inspection and taking of samples, are proposed to be retained as sub-provisions of a new S.23A with an increase in punishment for such obstruction.

(b) The proposed provision provides punishment of: (i) simple imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or with both, for the first offence; and (ii) simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

8.3. Insertion of new provision S. 23B.

(a) Section 27 of the Petroleum Act, 1934 is titled “Notice of accidents with petroleum” and requires any petroleum-related accident to be reported to the nearest Magistrate or to the officer in charge of the nearest police station and to the Chief Controller of Explosives.

(b) The present Section 23(1)(f), Petroleum Act, 1934 (in relation to failure to give information as required under section 27) is proposed to be retained as new S. 23B, but with enhanced punishment and fine.

(c) Keeping in view the principle of gradation of offences, breach of Section 27 is punished with: (i) simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, for the first offence; and (ii) simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both, for the second or subsequent offence.

8.4. Insertion of new provisions- S. 23C, S. 23D and S. 23E.

(a) The provisions of S. 23C, S. 23D and S. 23E are proposed to be incorporated to decriminalise the breach of terms and conditions of a license and replace it with a framework of imposition of civil penalties through administrative adjudication. This will also achieve the objective of ease of doing business.

(b) The proposed Section 23C de-criminalises breaches of terms and conditions of licenses and instead, in light of the fact that the licenses regulate high value economic activities, a regime for levy and collection of civil penalties that are implemented through

administrative adjudication is proposed. This is similar to the regime introduced for telecommunication sector vide Chapter VIII of the Telecommunications Act, 2023.

(c) The proposed Section 23C enables Central Government to appoint adjudicating officers for holding enquiry to determine breach of terms and conditions of a license granted under the Petroleum Act. In case of breach of a license, the adjudicating officer shall:

(i) Pass an order with directions to the holder of the license to ensure compliance with the license. The order may also provide for imposition of civil penalty up to two crore fifty lakh rupees for the first breach and up to five crore rupees for the second or subsequent breach; and

(ii) Make recommendation to the licensing authority for further action like suspension, revocation, curtailment of the duration of the license.

(d) The proposed Section 23D provides that the civil penalties imposed under Section 23C shall be in addition to any other liability of breach of the license under the Petroleum Act or rules. Similarly, the provisions of the Petroleum Act are provided as being in addition to, and does not affect the liability of a person under any other law.

(e) The proposed Section 23E provides that if the civil penalty levied under the Petroleum Act is not paid, then it can be recovered as arrears of land revenue.

8.5. Amendment of S. 24.

(a) Section 24 of the Petroleum Act, 1934 is with respect to confiscation of petroleum and receptacles by the convicting Magistrate at the time of conviction.

(b) In light of the proposed amendments to Section 23 of the Petroleum Act, 1934, and the deletion of Section 23(a), (b), (c) as currently, consequential amendments are required to be undertaken in Section 24.

(c) Further, it is proposed to expand the scope of confiscation to include any facilities built or works, equipment, material, built or used to undertake the offence as also being capable of being confiscated along with the petroleum and receptacles in which petroleum is found.

8.6. Amendment of S. 25.

(a) Section 25 of the Petroleum Act, 1934 is on jurisdiction. Under the present provision, offences punishable under the Petroleum Act, 1934 shall be triable in the Presidency-towns, by a Presidency Magistrate, and elsewhere by a Magistrate of the first class, or by a Magistrate of the second class who has been specially empowered by the Central Government in this behalf.

(b) The reference to "Presidency-towns" is a pre-independence legacy. Section 25 is therefore proposed to be amended. No court inferior to that of a Chief Metropolitan Magistrate or of a Chief Judicial Magistrate shall try any offence punishable under the Petroleum Act, 1934, unless such a court has been specially empowered by the Central Government in this behalf. This is similar to S. 57, PNGRB Act.

(c) Further, for clarity, it is proposed to explicitly state that the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) (BNSS) shall be applicable to filing of complaint, investigation, trial of offences committed under the Petroleum Act, 1934. This would ensure that all safeguards available under the BNSS are applicable to the Petroleum Act, 1934.

(d) It is also clarified in the proposed amendment to Section 25 that the adjudicating officer under proposed Section 23C shall have the jurisdiction in relation to breach of terms or conditions of license, for which civil penalties are to be imposed.

संख्या: M-11/13/2026-Distribution-PNG

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

कर्तव्य भवन– 03, जनपथ

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितंबर, 2026

विषय: पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में।

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 को पेट्रोलियम के आयात, परिवहन, भंडारण, उत्पादन, परिष्करण और सम्मिश्रण से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. सरकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उल्लंघन में किए गए अपराधों से संबंधित मौजूदा कानूनी ढाँचे को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार कर रही है।

3. इस संबंध में, "शास्तियाँ और प्रक्रिया" से संबंधित अध्याय 3 में संशोधन करके पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत धारा 23 और धारा 25 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नई धाराएँ 23क, 23ख, 23ग, 23घ और 23ङ अंतःस्थापित की जाएंगी और धारा 24 में संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के उल्लंघन जैसे विनियामक मुद्दों का अपराधीकरण समाप्त करना और एक प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सिविल जुर्माना लगाने की व्यवस्था प्रदान करना है। इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधनों में पेट्रोलियम परिचालनों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विशिष्ट अपराधों के लिए**पर्याप्त निवारक दंडात्मक प्रावधान**भी किए गए हैं।

4. आम जनता और उद्योग हितधारकों से टिप्पणियों/सुझावों के लिए प्रस्तावित संशोधन**संलग्नक-1**के रूप में इसके साथ संलग्न हैं। संशोधनों का संक्षिप्त विवरण देने के लिए एक व्याख्यात्मकटिप्पणी**संलग्नक-2**के रूप में इसके साथ संलग्न है।**अनुलग्नक-1**तथा**अनुलग्नक-2**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वेबसाइट mopng.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

5. प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियाँ/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से**तीस दिनों के भीतर**sodist-png@gov.inतथाricha.86@nic.in ई-मेलपर सरकार द्वारा उन पर समुचित विचार के लिए भेजे जा सकते हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

संलग्नक-1

पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 2026

एक

विधेयक

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में संशोधन करने के लिए।

भारत के गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया गया है: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इस अधिनियम को पेट्रोलियम (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ.- इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिनको परिभाषित नहीं किया गया है और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है।

3. धारा 23 का संशोधन -पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) में धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"23. अपराध -

1. जो कोई भी आवश्यक अनुज्ञप्तिप्राप्त किएबिना अनुज्ञप्तगतिविधि करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या पच्चीस करोड़ रुपये तक जुर्माना, या दोनों, और निरंतर उल्लंघन के मामले में, अतिरिक्त जुर्माने के साथ, जो प्रत्येक दिन के लिए जिस दौरान उल्लंघन जारी है दस लाख रुपये तक हो सकता है, से दंडित किया जाएगा।

*स्पष्टीकरण:-*इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "अनुज्ञप्ति प्राप्त गतिविधि" अभिव्यक्ति का अर्थ पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिष्करण, परिवहन या सम्मिश्रण से संबंधित ऐसी गतिविधि है जिसके लिए धारा 3, धारा 4 या धारा 5 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

2. जो कोई भी कपटपूर्वक, बेईमानी से, या दुर्व्यपदेशन या प्रतिरूपण के माध्यम से, धारा 3, धारा 4 या धारा 5 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है, उसे पांच साल तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माने, या दोनों, से दंडित किया जाएगा।
3. जो कोई भी, इस आशय से या यह जानते हुए कि वह पेट्रोलियम के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिष्करण, परिवहन या सम्मिश्रण के संबंध में उपयोग की जाने वाली किसी संपत्ति या सुविधा को नुकसान पहुंचा सकता है या विनाश कर सकता है, आग, विस्फोटक पदार्थ या अन्यथा द्वारा ऐसी संपत्ति का नुकसान पहुंचाता या विनाश करता है, या ऐसी संपत्ति से पेट्रोलियम की चोरी करता है, या किसी व्यक्ति की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न करता है, दंडित किया जाएगा:

   (क) पहले अपराध के लिए, पांच साल तक की अवधि के लिए कारावास या पंद्रह करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों; और
   (ख) दूसरे या बाद के अपराध के लिए, सात साल तक की अवधि के लिए कारावास या पच्चीस करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

*स्पष्टीकरण:-*यदि धारा 4 के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति का धारक, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसे अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा किसी ऐसे स्थान का नियंत्रण दिया गया है या प्रभारी के रूप में रखा गया है जहां पेट्रोलियम का आयात, भंडारण या परिवहन किया जा रहा है, किसी कार्य को करने या करने का लोप करने में सहायता, दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करते हुए पाया जाता है, जो इस उपधारा के अंतर्गतदंडनीय है, उसे, वास्तव में ऐसा कार्य करने या करने का लोप करने वाले व्यक्ति के साथ, इस उपधारा के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाएगा।

4. वह व्यक्ति जो जानबूझकर धारा 6 के उल्लंघन में कोई कार्य करता है या करने का लोप करता है, और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में खतरा उन्पन्न करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा:

   (क) पहले अपराध के लिए दस लाख रुपये तक; और
   (ख) दूसरे या बाद के अपराध के लिए बीस लाख रुपये तक।

5. जो कोई भी महत्वपूर्ण पेट्रोलियम अवसंरचना को क्षति पहुंचाता है, , वहदस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगाऔरपच्चीस करोड़ रुपये तक के जुर्माने या ऐसी महत्वपूर्ण पेट्रोलियम अवसंरचना को हुई किसी हानि, विनाश या क्षति के लिए व्यय की गई राशि, इनमें से जो कम हो, के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

*स्पष्टीकरण:-*इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, केन्द्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पेट्रोलियम के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिष्करण, परिवहन या सम्मिश्रण के संबंध में

प्रयुक्त या प्रयोग में आने के आशयित किसी भी अवसंरचना या क्षेत्र को महत्वपूर्ण पेट्रोलियम अवसंरचना घोषित कर सकता है।

6. जो कोई भी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, या करने का प्रयास करता है, या अपराध करने का षड्यंत्र करता है और यदि इस तरह के दुष्प्रेरण, प्रयास या षड्यंत्र के परिणामस्वरूप अपराध कारित हो जाता है, उसे उस अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाएगा।

4. धारा 23 के बाद नई धाराओं का अंतःस्थापन - पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) में, धारा 23 के बाद, निम्नलिखित धाराओं को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"**23क. अधिकृत अधिकारी के लिए बाधा**— जो कोई भी:

(क) तत्समय किसी ऐसे स्थानके नियंत्रणमेंयाका प्रभारीहोते हुए, जहाँ पेट्रोलियम का आयात, भण्डारण, उत्पादन, परिष्करण, सम्मिश्रण या परिवहन किया जा रहा है, धारा 13 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी कोपेट्रोलियम के संबंध में ऐसे स्थान में प्रयुक्त किसी पात्र, संयंत्र या साधित्र कोदिखनेसे इंकार या उपेक्षाकरता है या निरीक्षण के दौरान ऐसे अधिकारी को किसी अन्य रीति से बाधापहुंचाता है या उसे युक्तियुक्त सहायता देने में असफल रहता है, या

(ख) तत्समय किसी ऐसे स्थानके नियंत्रणमें याका प्रभारी होते हुए, जहाँ पेट्रोलियम का आयात, भण्डारण, उत्पादन, परिष्करण या सम्मिश्रण किया जा रहा है, धारा 14 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे किसी स्थान में कोई पेट्रोलियम दिखाने में या उसे पेट्रोलियम के निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता देने में जिसकी वह अपेंक्षा करे, इंकार या उपेक्षाकरता हैअथवा उसे पेट्रोलियम के नमूने लेने की अनुमति देने से इंकार करता है, दंडित किया जाएगा:

(i) पहले अपराध के लिए, तीन महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या दो हजार पांच सौ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों; और

(ii) दूसरे या बाद के अपराध के लिए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

23ख. धारा 27 का उल्लंघन.- जो कोई भीधारा 27 के अधीन किसी दुर्घटना की सूचना देना अपेक्षित होते हुए, उक्त धारा द्वारा अपेक्षित ऐसी सूचना देने में विफल रहता है: (क) पहले अपराध के लिए, एक महीने तक का साधारण कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, और (ख) दूसरे या बाद के अपराध के लिए, एक वर्ष तक कासाधारण कारावास, या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, से दंडित किया जाएगा।

23ग. अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन और झूठी सूचना आदि का प्रावधान.-

1. केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्णायक अधिकारी के कार्य का निर्वहन करने और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ है, औरयथा निर्धारित तरीके सेजांच करने के लिए अधिकृत करेगी।उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट एक ही

क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों में, इस अधिनियम के अधीन निर्णायक अधिकारी के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों या प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया जा सकता है ।

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति के किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, या गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बनता है, तोइस धारा के अधीन कार्यवाही, ऐसे उल्लंघन के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आरंभ की गई किसी कार्यवाही केअतिरिक्त होगी।

2. यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी सूचना, विवरणी, रिपोर्ट, लेखा बही या अन्य दस्तावेजों में कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है जो, -

    (क) किसी महत्वपूर्ण विवरण में गलत है, जिसे वह गलत जानता है; या
    (ख) किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड देता है, जिसके महत्वपूर्ण होने के बारे में वह जानता है,

    ऐसा व्यक्ति, उपधारा (3) के अंतर्गत जांच के उपरांत, उपधारा (5) के अंतर्गत सिविल जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. निर्णायक अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए इस तरह की जांच करेगा और जांच के दौरान की गई कार्रवाइयों के कारणों को दर्ज करेगा।
4. इस धारा के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए, निर्णायक अधिकारी के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत इन संबंधित मामलों में एक सिविल न्यायालय में निहित हैं -

    (क) किसी व्यक्ति को समन भेजना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर जांच करना;
    (ख) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना और दस्तावेजों को प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;
    (ग) रिटर्न, रिपोर्ट, बही या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करना; और
    (घ) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जाएं।

5. इस अधिनियम के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति केशर्तोंउल्लंघन के मामले में, निर्णायक अधिकारी इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत जांच करने के उपरांत -

    (क) निम्नलिखित में से एक या दोनों के संबंध में लिखित आदेश पारित करेगा, अर्थात्: -

i. ऐसे अनुज्ञप्ति धारक को इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए या ऐसे अनुपालन के लिए कोई कार्य करने या करने से रोकने के लिए निर्देशित करना;

ii. अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के पहली बार उल्लंघन के लिए दो करोड़ पचास लाख रुपये तक और दूसरी बार या उसके बाद के उल्लंघन के लिए पांच करोड़ रुपये तक का सिविल जुर्माना लगाना; और

(ख) ऐसे अनुज्ञप्ति के निलंबन, रद्दीकरण, या उसकी अवधि को कम करने के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के विचारार्थ सिफारिशें करना।

23घ. अन्य दायित्वों पर जुर्माने का अप्रभाव.—

1. धारा 23ग के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने, इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति के उल्लंघन के संबंध में किसी भी अन्य दायित्व के अतिरिक्त होंगे, और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।
2. इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जो किसी व्यक्ति ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपगत किया हो।

23ङ. सिविल जुर्माने की वसूली.-वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी सिविल जुर्माने को, जिसका भुगतान नहीं किया जाता है, भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाएगा।";

5. धारा 24 का संशोधन -पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 24 की उपधारा (1) में:

क. शब्दों "के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग)" का लोप हो जाएगा;

ख. शब्द "उपधारा (1)" के बाद, "या उपधारा (2)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

ग. शब्द "उन", के बाद "सुविधाओं, उपकरणों, सामग्री जिसे अपराध करने के लिए निर्मित या प्रयुक्त किया गया या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. धारा 25 का संशोधन-पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) में, धारा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"25. अधिकारिता.- (1) मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा, जब तक कि उस अदालत को इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो।

(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन शिकायत दाखिल करने, अन्वेषण, किए गए अपराधों के संबंध में विचारण तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक किसी अन्य मामले पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 23ग के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी के पास अनुज्ञप्ति की नियम शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अधिकारिता होगी, जिसके लिए सिविल जुर्माना लगाया जाना है।"

संलग्नक-2

पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 2026 के मसौदे पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

क.प्रस्तावना

1. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 ने अपराधों के लिए एक रूपरेखा स्थापित की जो काफी हद तक समान रही है और इसमें अंतिम बार पेट्रोलियम (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसने: (i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 23 के तहत लगाए गए जुर्माने को 500 रुपये से बढ़ाकर एक महीने तक के साधारण कारावास या 1,000 रुपये के जुर्माने में बदल दिया; और (ii) बार-बार होने वाले अपराधों के लिए, 2,000 रुपये तक के जुर्माने को तीन महीने तक के साधारण कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने, या दोनों, से बदल दिया।

2. यह जुर्माना, यद्यपि 1970 के दशक के हिसाब से महत्वपूर्ण था, लेकिन अब यह अपर्याप्त है, क्योंकि 1970 में पेट्रोल की कीमत 0.90 रुपये प्रति लीटर थी और 2026 में यह 95 से 105 रुपये के बीच रहती है, जो 10,000% से अधिक की वृद्धि है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अभिन्न अंग माने जाने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे तेल रिफाइनरियों में भी कई गुना वृद्धि हुई है। 1970 में, 18.4 MMTPA की वार्षिक शोधन क्षमता प्रदान करने वाली केवल 6 चालू रिफाइनरियां थीं, जबकि 2026 में 258 MMTPA से अधिक की शोधन क्षमता वाली 23 रिफाइनरियां चालू हैं।

3. यह ध्यान देने योग्य है कि संबंधित कानून उच्च दंड निर्धारित करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

   (क)तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में 2025 में संशोधन करके महत्वपूर्ण प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 25,00,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था, और यदि जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रतिदिन 10,00,000 रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है (धारा 9, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम), 1948।

(ख)पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (PNGRB अधिनियम) जिसका दायरा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के साथ अतिव्यापी है (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी गैस वितरण नेटवर्क से संबंधित), ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, CGD नेटवर्क और LNG टर्मिनलों से संबंधित विशिष्ट अपराधों के लिए प्रावधान किया है। ये अपराध तीन साल तक के कारावास या 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय हैं, और उल्लंघन जारी रहने पर हर दिन के लिए 10 लाख रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है, जैसे कि: (i) अप्राधिकृत क्रियाकलाप के लिए दंड (PNGRB अधिनियम की धारा 46), (ii) रजिस्ट्रीकरण के बिना द्रवित प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना या संचालन के लिए दंड (PNGRB अधिनियम की धारा 47), (iii) प्राधिकार के बिना सामान्य वाहित्र या ठेका वाहित्र बिछाने, निर्मित करने, प्रचलित करने या विस्तार करने के लिए दंड (PNGRB अधिनियम की धारा 48), (iv) सामान्य वाहित्र या ठेका वाहित्र को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए दंड (PNGRB अधिनियम की धारा 49)।

4. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वर्तमान पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 23 के तहत मौजूद सामान्य अपराध को युक्तिसंगत बनाना है, जो विशिष्ट अपराधों के खिलाफ कोई विशेष निवारक प्राप्त करने में विफल रहता है, बल्कि इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जहां लाइसेंस का उल्लंघन दंडनीय अपराध बन जाता है।

5. इसलिए यह प्रस्ताव है कि छोटे अपराधों को गैर-अपराधीकृत करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पेट्रोलियम अधिनियम की वर्तमान धारा 23 को एक श्रेणीबद्ध ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए जो:

   (क)लाइसेंस के नियमों और शर्तों के उल्लंघन जैसे विनियामक मुद्दों को गैर-आपराधिक बनाता है और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सिविल जुर्माना लगाने का तंत्र प्रदान करता है, और

   (ख)ऐसे विशिष्ट अपराध बनाता है जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के पहलुओं से संबंधित हैं, और जो लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन जैसी विनियामक चूकों को दंडनीय अपराध नहीं मानेंगे, लेकिन साथ ही पेट्रोलियम संचालन के विशिष्ट पहलुओं से संबन्धित अपराधों के खिलाफ पर्याप्त निवारण भी प्रदान करेंगे।

6. बनाए जा रहे विशिष्ट अपराध पेट्रोलियम क्षेत्र के संचालन की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत में लागू अन्य प्रासंगिक कानूनों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सिंगापुर जैसे अधिकार क्षेत्रों में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित अपराधों की अंतरराष्ट्रीय मिसालों पर आधारित हैं।

ख.<u>अस्वीकरण</u>

7. यह व्याख्यात्मक टिप्पणी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह विधेयक का हिस्सा नहीं है। विधेयक के प्रावधानों की कानूनी व्याख्या के लिए इस व्याख्यात्मक टिप्पणी का उपयोग नहीं किया जाएगा।

ग.<u>विधेयक का सारांश</u>

8. <u>अध्याय 3 (शास्तियां और प्रक्रिया) में संशोधन:</u>

8.1. धारा 23 में संशोधन:वर्तमान में पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 23 के तहत अपराधों के लिए एक सामान्य दंड का प्रावधान है । इसे विशिष्ट अपराधों के लिए अलग दंड प्रदान करने वाले प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्तावित धारा 23(1):</u>

(क) चूंकि अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के उल्लंघन को गैर-अपराधिक बनाने का प्रस्ताव है और अनुज्ञप्ति की आवश्यकता विशिष्ट गतिविधियों तक सीमित है, इसलिए आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना, अनुज्ञप्ति की अनिवार्यता वाली गतिविधियों को करने के खिलाफ पर्याप्त निवारण तैयार करना आवश्यक है।

(ख) परिणामस्वरूप, प्रस्तावित धारा 23(1) आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनुज्ञप्ति की आवश्यकता वाली किसी गतिविधि को करने को विशिष्ट अपराध बनाती है। इसमें तीन वर्ष तक के कारावास, या पच्चीस करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, का प्रस्ताव है।

(ग) यह दंड PNGRB अधिनियम के तहत पूर्व प्राधिकार के बिना सामान्य वाहित्र, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या CGD नेटवर्क को बिछाने, निर्मित करने, प्रचलित करने या विस्तार करने के लिए के समान अपराध पर आधारित है।

<u>प्रस्तावित धारा 23(2):</u>

(क) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया की गरिमा को बचाने के लिए, विशेष रूप से विनियमित वस्तुओं के आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए, कपटपूर्ण कार्यों के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के खिलाफ निवारक प्रावधान करना आवश्यक है।

(ख) परिणामस्वरूप, प्रस्तावित धारा 23(2) कपटपूर्वक, बेईमानी से, या गलत बयानी एवं प्रतिरूपण के माध्यम से पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट अपराध का प्रावधान करती है।

(ग) जनहित में यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से रोका जाए जो अन्यथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकताओं और मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

(घ) कपटपूर्ण तरीके से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित लाइसेंसिंग व्यवस्था को निष्फल और कमजोर करता है, और यह जनहित के भी खिलाफ है। यह दंड भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 318(3) के तहत 'धोखाधड़ी' के अपराध पर आधारित है।

<u>प्रस्तावित धारा 23(3):</u>

(क) चूंकि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 द्वारा विनियमित हैं, अत्यधिक ज्वलनशील हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, तथा साथ ही इनका आर्थिक मूल्य भी बहुत अधिक है, इसलिए किसी भी पेट्रोलियम के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिष्करण, परिवहन, या सम्मिश्रण के संबंध में उपयोग की जाने वाली सुविधाओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से रोकना और ऐसी सुविधाओं से पेट्रोलियम की चोरी को रोकना आवश्यक है।

(ख) परिणामस्वरूप, प्रस्तावित धारा 23(3) निम्नलिखित के लिए एक विशिष्ट अपराध का प्रस्ताव करती है: (i) किसी भी पेट्रोलियम के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिष्करण, परिवहन या सम्मिश्रण के संबंध में उपयोग की जाने वाली संपत्ति या सुविधाओं को जानबूझकर या जानते हुए नुकसान या विनाश पहुंचाना; या (ii) आग, विस्फोटक पदार्थ या किसी अन्य माध्यम से ऐसी संपत्ति को जानबूझकर या जानते हुए नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना; या (iii) ऐसी संपत्ति से जानबूझकर या जानते हुए पेट्रोलियम की चोरी करना; या (iv) जानबूझकर या जानते हुए किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालना।

(ग) अपराधों के वर्गीकरण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इसे निम्नलिखित दंड से दंडनीय बनाया गया है:

(i) पहले अपराध के लिए, पांच साल तक की अवधि के लिए कारावास या पंद्रह करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों; और

(ii) दूसरे या बाद के अपराध के लिए, सात साल तक की अवधि के लिए कारावास या पच्चीस करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

(घ) इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदिअनुज्ञप्ति का धारक, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसे अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा किसी ऐसे स्थान का नियंत्रण दिया गया है या प्रभारी के रूप में रखा गया है जहां पेट्रोलियम का आयात, भंडारण या परिवहन किया जा रहा है, किसी कार्य को करने या करने का लोप करने में सहायता, दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करते हुए पाया जाता है, जो इस उपधारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो उस व्यक्ति पर भी यही सजा लागू होगी।

<u>प्रस्तावित धारा 23(4):</u>

(क) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 6 के तहत पेट्रोलियम वर्ग क के पात्रों पर एक चेतावनी लेबल प्रदर्शित करना आवश्यक है, जैसे "पेट्रोल" या "मोटर स्पिरिट", या पेट्रोलियम की खतरनाक प्रकृति की समतुल्य चेतावनी।

(ख) पात्रों पर ऐसे चेतावनी लेबल न होने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

(ग) इसे ध्यान में रखते हुए, धारा 6 का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर कोई कार्य करने या किसी कार्यका लोप करने में, जिससे किसी व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो, के संबंध में एक अपराध का प्रस्ताव किया गया है। यह उल्लंघन प्रथम अपराध के लिए दस लाख रुपये और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए बीस लाख रुपये के जुर्माने से दंडनीय है।

<u>प्रस्तावित धारा 23(5):</u>

(क) प्रस्तावित धारा 23(5) एक ऐसा ढांचा तैयार करती है जिसके तहत केंद्र सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र में कुछ प्रकार केअवसंरचनाया सुविधाओं को "महत्वपूर्ण पेट्रोलियम अवसंरचना" के रूप में अधिसूचित कर सकती है। साथ ही, यह ऐसी अधिसूचित सुविधाओं याअवसंरचनाको नुकसान पहुंचानेको एक विशिष्ट अपराध भी बनाती है।

(ख) यह महत्वपूर्णअवसंरचनाको अधिसूचित करने और उसके लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा तैयार करने के सिद्धांत पर आधारित है। सिंगापुर में ऐसेअवसंरचनाके लिए एक अलग कानून मौजूद है – जहां Infrastructure Protection Act, 2017 लागू किया गया था। भारत में, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 22(3) सहपठित धारा 42 के तहत एक समान ढांचा प्रदान किया गया है, जो "महत्वपूर्ण दूरसंचारअवसंरचना" के लिए व्यवस्था करता है।

(ग) महत्वपूर्ण पेट्रोलियमअवसंरचनाके लिए एक सक्षम ढांचा बनाने का उद्देश्य कानून द्वारा एक स्पष्ट वर्गीकरण स्थापित करना है कि ऐसीअवसंरचनासुविधाओं को नुकसान पहुंचाना अपने आप में एक अपराध होगा, और इस प्रकार ऐसी सुविधाओं के खिलाफ किसी भी आपराधिक गतिविधि के विरुद्ध एक स्पष्ट निवारण प्रदान करना है।

(घ) जहां केंद्र सरकार द्वारा किसीअवसंरचनाको महत्वपूर्ण पेट्रोलियमअवसंरचनाके रूप में अधिसूचित किया जाता है, और उसे भौतिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति कोदस वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माना जो पच्चीस करोड़ रुपये तक या उस महत्वपूर्ण पेट्रोलियम अवसंरचना से होने वाले किसी भी नुकसान, विनाश या क्षति का खर्च, जो भी कम हो, से दंडित किया जाएगा।

<u>प्रस्तावित धारा 23(6):</u>

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बहुत अधिक है, और इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देने के लिए अक्सर एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 द्वारा शासित गतिविधियों से संबंधित अपराधों का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र का एक विशिष्ट अपराध प्रस्तावित किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि आपराधिक सिंडिकेट या संगठित समूहों द्वारा किए जाने वाले पेट्रोलियम-संबंधी अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है।

(ख) इसलिए, प्रस्तावित विशिष्ट अपराधों के लिए दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और अपराध करने का प्रयास करना भी अपराध बनाया जा रहा है। वर्तमान में पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में ऐसा प्रावधान मौजूद नहीं है।

8.2. नई धारा 23क काअंतःस्थापन:

(क) निरीक्षण और नमूने लेने में बाधा डालने के संबंध में पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की वर्तमान धारा 23(1)(घ) और (ङ) को ऐसी बाधा के लिए सजा में वृद्धि के साथ एक नई धारा 23क के उप-प्रावधानों के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित प्रावधान निम्नलिखित सजा का प्रावधान करता है: (i) पहले अपराध के लिए, तीन महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या दो हजार पांच सौ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों; और (ii) दूसरे या बाद के अपराध के लिए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या दस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

8.3. नई धारा 23ख काअंतःस्थापन:

(क) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 27 का शीर्षक "पेट्रोलियम से हुई दुर्घटना की सूचना" है और इसके तहत पेट्रोलियम से संबंधित किसी भी दुर्घटना की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को देना आवश्यक है।

(ख) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की वर्तमान धारा 23(1)(च) (धारा 27 के तहत अपेक्षित जानकारी देने में विफलता के संबंध में) को एक नई धारा 23ख के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव है, लेकिन इसमें सजा और जुर्माने को बढ़ा दिया गया है।

(ग) अपराधों के वर्गीकरण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, धारा 27 के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दंड का प्रावधान किया गया है: (i) पहले अपराध के लिए, एक महीने तक का साधारण कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, और (ii) दूसरे या बाद के अपराध के लिए, एक वर्ष तक का साधारण कारावास, या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

8.4. नए प्रावधानों धारा 23ग, 23घ और 23ङ काअंतःस्थापन:

(क)अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के उल्लंघन को अपराध मुक्त करने और इसके स्थान पर प्रशासनिक न्यायनिर्णयन के माध्यम से सिविल जुर्माने लगाने के ढांचे को स्थापित करने के लिए धारा 23ग, 23घ और 23ङके प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का उद्देश्य भी पूरा होगा।

(ख)प्रस्तावित धारा 23गअनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के उल्लंघनों को अपराध मुक्त करती है और इसके बजाय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुज्ञप्ति उच्च मूल्य की आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करते हैं, प्रशासनिक न्यायनिर्णयन के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली सिविल जुर्माने के उत्थापन और संग्रहण के लिए एक व्यवस्था प्रस्तावित की जाती है। यह दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अध्याय VIII के तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिए शुरू की गई व्यवस्था के समान है।

(ग)प्रस्तावित धारा 23गकेंद्र सरकार को पेट्रोलियम अधिनियम के तहत दिए गए अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए जाँच करने हेतु निर्णायक अधिकारियो को नियुक्त करने का अधिकार देती है। अनुज्ञप्ति के उल्लंघन के मामले में, निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:(i) अनुज्ञप्ति धारक को अनुज्ञप्ति का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ एक आदेश पारित करना। इस आदेश में पहले उल्लंघन के लिए दो करोड़ पचास लाख रुपये तक और दूसरे या बाद के उल्लंघन के लिए पाँच करोड़ रुपये तक की सिविल जुर्माना लगाने का प्रावधान भी हो सकता है; और (ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी को लाइसेंस के निलंबन, निरस्तीकरण, अवधि में कटौती जैसी आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिश करना।

(घ)प्रस्तावित धारा 23घ यह प्रावधान करती है कि धारा 23ग के तहत लगाई जाने वाले सिविल जुर्माने, पेट्रोलियम अधिनियम या नियमों के तहत अनुज्ञप्ति के उल्लंघन के किसी भी अन्य दायित्व के अतिरिक्त होंगे। इसी प्रकार, पेट्रोलियम अधिनियम के प्रावधान अन्य किसी विधि के तहत किसी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करते हैं और उसके अतिरिक्त हैं।

(ङ) प्रस्तावित धारा 23ङयह प्रावधान करती है कि यदि पेट्रोलियम अधिनियम के तहत लगाई गई सिविल जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जा सकता है।

8.5. धारा 24 में संशोधन:

(क) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 24 दोषसिद्धि के समय दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पेट्रोलियम और उसके पात्रों के समपहरण से संबंधित है।

(ख) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 23 में प्रस्तावित संशोधनों और वर्तमान में मौजूद धारा 23 (क), (ख), (ग) को हटाने के आलोक में, धारा 24 में परिणामी संशोधन किए जाने आवश्यक हैं।

(ग) इसके अलावा, समपहरण के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि पेट्रोलियम और उन पात्रों, जिनमें पेट्रोलियम पाया जाता है, के साथ-साथ अपराध को अंजाम देने के लिए निर्मित या उपयोग की गई किसी भी सुविधा या निर्माण, उपकरण, सामग्री को भी समपहृत किए जाने योग्य बनाया जा सके।

8.6. धारा 25 में संशोधन:

(क)पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 25 अधिकारिता से संबंधित है। वर्तमान प्रावधान के तहत, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत दंडनीय अपराध प्रेसिडेंसी-नगरों में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा, और अन्य जगहों पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, या द्वितीय वर्ग के ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे जिन्हें इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो।

(ख) "प्रेसिडेंसी-नगरों" का संदर्भ आज़ादी से पहले की एक विरासत है। इसलिए धारा 25 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा, जब तक कि उस अदालत को इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो। यह PNGRB अधिनियम की धारा 57 के समान है।

(ग)इसके अलावा, स्पष्टता के लिए, यह उल्लेख करने का प्रस्ताव है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) (BNSS) के प्रावधान पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत किए गए अपराधों की शिकायत दर्ज करने, जांच और विचारण पर लागू होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि BNSS के तहत उपलब्ध सभी सुरक्षा उपाय पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 पर लागू हैं।

(घ)धारा 25 के प्रस्तावित संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित धारा 23गके तहत निर्णायक अधिकारी को अनुज्ञप्ति के नियमों या शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अधिकारिता होगी, जिसके लिए सिविल जुर्माना लगाया जाना हैं।